राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

गांधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, सी–स्कीम, जयपुर

फोन नः 0141–2228066, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल : edepmrmsc-rj@nic.in

CIN:U24232RJ2011SGC035067 वेबसाइट :www.rmsc.nic.in

–: यू0 ओ0 नोट :–

विषयः– द्वितीय अपील अधिकारी एवं प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर के आदेश दिनांक 23.11.16 को उपापन पोर्टल एवं आरएमएससी वेबसाईट पर अपलोड किये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत, लेख है कि द्वितीय अपील अधिकारी एवं प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर के द्वारा फर्म M/s Allengers Medical Sytstems Ltd., Chandigarh की अपील में आदेश दिनांक 23.11.16 पारित किया है। पारित आदेश के अनुसार इसको उपापन पोर्टल एवं आरएमएससी वेबसाईट पर अपलोड किया जाना है। अतः संलग्न कर प्रेषित है । कृपया आदेश को उपापन पोर्टल एवं आरएमएससी वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।

Most urgent

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

कार्यकारी निदेशक (ई.पी.एम.)
राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम,
जयपुर

ए.जी.एम. (आई.टी.)
राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम,
जयपुर

यू0 ओ0 नोट क्रमांक : F-8( )RMSC/EPM/M-2/2016/ 5049
दिनांकः 30/11/16

D:\Narendra Sharma\U.O. Note.docx

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप–5) विभाग

स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड

क्रमांक.प.7(16)चिकि.5 / 2016

जयपुर दिनांक 23/11/016

M/s Allengers Medical Systems Ltd.
S.C.O. 212-213-214 Sector 34-A
Chandigarh-U.T 160 022
E.mail:exports@allengers.net
Tel.0172-6618081,6618082

विषय:– राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के तहत M/s Allengers Medical Systems Ltd. द्वारा दायर अपील संख्या–12 के निर्णय दिनांक 10.11.16 के क्रम में

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के तहत प्रस्तुत द्वितीय अपील की सुनवाई की जाकर अपील का निर्णय दिनांक 10.11.16 की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न:–उपरोक्तानुसार

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1.निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,जयपुर
2.मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,जयपुर
3.प्रबंध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉपोरेशन,लि.जयपुर को कृपया आदेश की प्रति राज्य उपापन पोर्टल पर प्रदर्शित करवाकर, इस विभाग को अवगत कराने की व्यवस्था करावे।
4.कार्यकारी निदेशक(प्रोक्यरमेन्ट) (EPM) राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉपोरेशन लि.जयपुर
5.निदेशक (जन स्वास्थ्य), निदेशालय,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राज.जयपुर
6.औषधि नियंत्रक(प्रथम / द्वितीय)निदेशालय,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राज.जयपुर
7.रक्षित पत्रावली

क्रमांक 28.51 दिनांक 23/11/16 जयपुर

शासन उप सचिव

कमरा नं.4207(मुख्य भवन)शासन सचिवालय,जन पथ,जयपुर–302021(राजस्थान)
दूरभाष नं.0141–5153222–23 एक्सटेशन,22640(फैक्स नं.0141–2227797
डीएस–5 / डेस्टोप / आरटीआई

राजस्थान सरकार
द्वितीय अपील अधिकारी एवं
प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
जयपुर।

पीठासीन अधिकारी–श्रीमती वीनू गुप्ता (आई.ए.एस.)

क्रमांक : प0 07 (16) चिस्वा / ग्रुप–5 / 2016 जयपुर, दिनांक

द्वितीय अपील संख्या 12 / 2016
अन्तर्गत धारा 38 (4),राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम, 2012

M/s Allengers Medical Systems Ltd., SCO-212, 213, 214 Sector-34 A, Chandigarh

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड, स्वास्थ्य भवन , जयपुर।

रेस्पोंडेंट

निर्णय दिनांक 10.11.2016

प्रस्तुत अपील पर सुनवाई दिनांक 10.11.16 को की गई। अपीलान्ट फर्म M/s Allengers Medical Systems Ltd., SCO-212, 213, 214 Sector-34 A, Chandigarh की ओर से फर्म के प्रतिनिधि तथा आर.एम.एस.सी.एल की ओर से प्रबन्ध निदेशक, कार्यकारी निदेशक (ई.पी.एम.) उपस्थित हुये। अपीलान्ट फर्म एवं रेस्पोन्डेन्ट, दोनों पक्षकारो को सुना गया। संक्षिप्त मे अपील के तथ्य इस प्रकार है :–

प्रतिवादी, राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम के द्वारा रेडियोलोजी एक्स–रे उपकरणों के क्रय एवं दरसंविदा हेतु निविदा संख्या F-8( ) RMSC/EPM/M-5/15-16/NIB-75/10167 dated 10.04.15 जारी कर खुली निविदाए आमन्त्रित की गयी। प्रतिवादी, की निविदा सूचना अन्तर्गत सभी निविदादाताओं से प्राप्त निविदाओ की तकनीकी बिड दिनांक 22.07.15 को खोली गई।

अपीलार्थी फर्म M/s Allengers Medical Systems Ltd., Chandigarh ने उक्त निविदा सूचना के आईटम 100mA High Frequency X-Ray Machine, 300mA High Frequency X-Ray Machine, 500mA High Frequency X-Ray Machine & High Frequency 100mA Mobile X-ray Machine के लिये अपनी निविदा प्रस्तुत की गयी।

अपितु यह त्रुटि महाराष्ट्र चिकित्सा विभाग के आदेश का अभिप्राय (Interpretation) एवं उसका प्रभाव समझने में, गलती के कारण हुई है। अपील के दौरान फर्म द्वारा निवेदन किया गया है कि निगम की निविदा में उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये गलत तथ्यों से निगम को किसी भी प्रकार की कोई वित्तीय हानि/क्षति नहीं हुई है, क्योंकि निविदा प्रकिया के दौरान फर्म की दरें L-2 पाई गयी। अपीलार्थी फर्म ने दौरान सुनवाई निवेदन किया कि उनकी फर्म के चिकित्सा क्षेत्र मे पूर्व व्यवहार एवं कार्य सम्पादन को ध्यान मे रखते हुये, प्रतिवादी निगम की निविदा में बोनाफाइड रूप से हुई त्रुटि को नजरअंदाज करते हुये, निगम के Debar आदेश दिनांक 20.07.16 मे शिथिलता प्रदान की जावें।

अपीलार्थी फर्म द्वारा प्रासंगिक अपील के सम्बन्ध में प्रस्तुत तथ्यों एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निगम का आदेश दिनांक 20.07.16 युक्तियुक्त है परन्तु, यह भी प्रतीत होता है कि फर्म से गलती, Directorate of Health Services (Maharashtra State), Mumbai के आदेश दिनांक 17.12.14 का अभिप्रायः गलत समझने के कारण हुई है। निविदा मूल्यांकन में फर्म की निविदा L-2 पायी गयी थी जिससे फर्म को क्रयादेश जारी किये जाने की संभावना नहीं थी। प्रश्नगत निविदा में अन्य पक्षकार फर्म/राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम की उपापन प्रक्रिया पर किसी भी प्रकार का वित्तीय/विधिक प्रभाव नहीं पड़ा है।

आदेश

अतः अपीलार्थी द्वारा त्रुटि स्वीकार किये जाने, त्रुटि का कारण बोनाफाईड प्रतीत होने एवं प्रतिबंध के आदेश के Multiple प्रभावो को ध्यान में रखते हुये, अपीलार्थी फर्म M/s Allengers Medical Systems Ltd., Chandigarh पर निगम के आदेश दिनांक 20.07.16 से किये गये Debar की प्रभावी अवधि मे, शिथिलता प्रदान करते हुये इस आदेश जारी करने की दिनांक तक, सीमित किया जाता है। उपरोक्त अपीलार्थी की अपील अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है। निर्णय से सभी पक्षकारों को अवगत कराया जावें। आदेश की प्रति पक्षकारान को निशुल्क उपलब्ध कराई जावे एवं राज्य उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जावें। पत्रावली निर्णय मे सम्मिलित की जाकर कार्यालय में नियमानुसार संधारित की जाती है।

वीनू गुप्ता (आई.ए.एस.)
द्वितीय अपीलीय अधिकारी एवं
प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग